

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, राँची

पत्रांक...880...../

प्रेषक:-

मिथलेश केरकेड़ा,
जिला शिक्षा अधीक्षक,
राँची।

सेवा में,

सभी प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,
(राँची एवं ओरमाँझी, बेड़ो, चान्हों, लापुंग,
माण्डर, अनगड़ा प्रखण्ड को छोड़कर)।

राँची, दिनांक...19-03-24/

विषय:-

बकाया विद्युत बिल के मिलान के संबंध में।

प्रसंग:-

निदेशक, (प्राथमिक शिक्षा) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखण्ड,
राँची के पत्रांक 2266 दिनांक 23.08.2022 एवं पत्रांक 2302 दिनांक 30.09.
2022 एवं कार्यालय पत्रांक 3374 दिनांक 20.10.2022 तथा पत्रांक 3491
दिनांक 02.11.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्रों के माध्यम से जिले के प्रारंभिक
विद्यालयों का (अपने-अपने क्षेत्राधीन) बकाया विद्युत विपत्र समेकित कर दिनांक 03.11.
2022 तक मांग की गयी थी, परंतु आपके द्वारा बकाया विद्युत विपत्र अधोहस्ताक्षरी
कार्यालय को लंबी अवधि तक उपलब्ध नहीं करायी गयी है। जो अत्यंत ही खेद का विषय
है।

अतः स्मारित करते हुए निदेश दिया जाता है कि दिनांक 21.03.2024 के
अपराहन् 04.00 बजे तक समेकित बकाया विद्युत विपत्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को
उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा विभाग के द्वारा प्रतिकूल आदेश प्राप्त होने पर
इसकी संपूर्ण जवाबदेही आपकी होगी।

इसे अति आवश्यक समझे।

विश्वासभाजन

Muc 19/3/24
जिला शिक्षा अधीक्षक,

राँची
19/03/24